

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र।  
पत्रांक 175/ओबरा/33 वन्दो0 दिनांक, 22/7/2021.

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,  
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड,  
लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र।

**विषय:-** पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत स्वीकृत पैकेज संख्या यू0पी0 67145 के मार्ग चोपन महलपुर रोड से परसोई वाया खेवन्धा चकाड़ी ओबरा डैम सम्पर्क मार्ग में प्रभावित होने वाले 15.567 हे0 वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव। (प्रस्ताव संख्या-FP/UP/ROAD/117639/2021)

**सन्दर्भ:-** अधिशाली अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र के कार्यालय का पत्रांक-1031/यू0पी0/67145-पी0एम0जी0एस0वाई0/2021 दिनांक -12.07.2021.

महोदय,

आपके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा चोपन महलपुर रोड से परसोई वाया खेवन्धा चकाड़ी ओबरा डैम सम्पर्क मार्ग का आनलाईन प्रस्ताव अपलोड करने के उपरान्त प्रस्ताव की हार्ड कापी पांच प्रतियों में इस कार्यालय में उपलब्ध कराया गया है। प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त निम्नलिखित कमियां पायी गयी:-

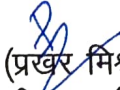
1. प्रस्ताव के साथ के0एम0एल0 फाईल की सी0डी0 संलग्न नहीं किया गया है। कृपया के0एम0एल0 फाईल की सी0डी0 संलग्न करें।
2. प्रस्ताव के साथ संलग्न परियोजना का औचित्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। कृपया परियोजना के औचित्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।
3. प्रस्ताव के साथ लागत लाभ विश्लेषण संलग्न नहीं किया गया है। कृपया लागत लाभ विश्लेषण संलग्न करें।
4. प्रस्ताव के साथ प्रीमियम व लीज रेंट की धनराशि का भुगतान करने से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है। कृपया प्रमाण पत्र संलग्न करें।
5. प्रस्ताव के साथ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 एवं वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन न होने से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है। कृपया प्रमाण पत्र संलग्न करें।
6. प्रस्ताव के साथ लाभान्वित होने वाले ग्रामों एवं परिवारों का विवरण संलग्न नहीं है। कृपया विवरण संलग्न करें।
7. प्रस्ताव के साथ वन अधिकार अधिनियम 2006 से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। कृपया प्रमाण पत्र संलग्न करें।

8. प्रस्ताव के साथ प्रभावित होने वाले वृक्षों का प्रजातिवार, व्यास श्रेणीवार सूची संलग्न नहीं है। कृपया प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

अतः आप द्वारा प्राप्त कराये गये प्रस्ताव की पांच प्रति मूल में संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार कमियों को दृष्टिगत रखते हुए, वांछित अभिलेख संलग्न कर, संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे कि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही किया जा सके।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

भवदीय

  
(प्रखर मिश्र)

प्रभागीय वनाधिकारी

 ओबरा वन प्रभाग, ओबरा—सोनभद्र।